न्यायालयः—प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्याया. के द्वि0अति. न्यायाधीश,श्रृंखला न्यायालय चंदेरी, जिला—अशोकनगर (म.प्र.) ।। समक्ष – राजेन्द्र सिंह ठाकुर।।

विशेष सत्र प्रकरण क.—60 / 2017 संस्थित दिनांक—12.10.2017 रजिस्ट्रेशन नंबर 60 / 2017

रकी उर्फ शेवंद्र पुत्र मेला सिंह, उम्र— 20 वर्ष,
मेला सिंह पुत्र राजाराम यादव उम्र—45 वर्ष,
निवासीगण—ग्राम सरसेला थाना चंदेरी,
जिला—अशोकनगर (म.प्र.)

<u>अभियुक्तगण</u>

पुलिस थाना चंदेरी जिला—अशोकनगर के अपराध क-406/2017 अंतर्गत धारा 354,323,341,325 भादिव, 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में दिनांक 12.10.2017 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर उद्भूत।

अभियोजन की ओर से :- श्री मुकेश राजपूत अपर लोक अभियोजक। अभियुक्तगण की ओर से :- श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता।

-:: आदेश ::-

(धारा 232 द.प्र.सं. के प्रावधानों के अंतर्गत)

(आज दिनांक 09.05.2018 को घोषित किया गया)

- 1. उक्त अभियुक्तगण को भादवि की धारा 354,323,341,325 भादवि, 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराध में अभियोजित किया गया है।
- 2. प्रकरण में गिरफतारी के अतिरिक्त अन्य कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकृत नहीं है।
- 3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.08.2018 को 19:00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत नवल बंजारा के घर के पास, आगे जंगल तरफ,

सरसेला, थाना चंदेरी में अभियोक्त्री उम्र-14 साल लेटिंग करने गई थी, जिसके चिल्लाने की आवाज उसके दादा भामा बंजारा को आई, तो वह वहां पहुंचा और अभियोक्त्री से पूछा क्या हुआ, तब अभियोक्त्री ने बताया कि वह लेट्टिंग कर रही थी, उसी समय गावं का रंकी यादव आया और बुरी नियत से उसका वांया हाथ पकड लिया और उसकी छाती दवा दी। अभियोक्त्री चिल्लाई तो उसके दादा भामा बंजारा आये तो आरोपी रंकी यादव उन्हें देखकर भाग गया। फिर दादा भामा बंजारा अभियोक्त्री की लेकर रिपोर्ट को आने लगा तो, आरोपी रंकी यादव एवं उसके पिता मेला सिंह लाठी लेकर आये और उनका रास्ता रोक लिया और दोनों ने लाठियों से भामा बंजारा की मारपीट की। जिससे सिर में व शरीर में चोटें आईं, वह चिल्लाया तो उसकी बहु गुडडीबाई बचाने आई तो, उसकी भी आरोपी रंकी यादव व मेला सिंह ने मारपीट की, जिससे उसको भी चोटें आईं। घ ाटना धनियाबाई व खेमचंद बंजारा ने देखी है।

- इस पर पुलिस थाना चंदेरी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क-406 / 2017 अंतर्गत धारा 354,323,341,325 भादवि, 7 / 8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, के अंतर्गत आरोपीगण के विरूद्ध कायम किया गया। अनुसंधान के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। उसकी उम्र-के संबंध में अंकसूची प्रस्तुत की गई है एवं भर्ती रजिस्टर की फोटोकॉपी पेश की है। अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र दिनांक 12.10.2017 को प्रस्तुत किया है।
- अभियुक्त पर धारा 323,341,325 भादवि, 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 आरोप लगाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया विचारण चाहा। बचाव में रंजिशन झूंठा फंसाया जाना बताया है। बचाव में कोई साक्षी को परिक्षित नहीं कराया है। उभयपक्षों के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपीगण का धारा 323,341,325 भादवि, में अपराध का शमन कर दोषमुक्त किया गया है शेष अपराध धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 का विचारण शेष है, के संबंध में आदेश किया जा रहा है।

प्रकरण के निराकरण हेत् विचारणीय प्रश्न यह है कि :-6.

क्या. आरोपीगण ने दिनांक 27.08.2018 को समय 19:00 बजे बजे थाना चंदेरी अंतर्गत नबल बंजारा के घर के पास, आगे जंगल तरफ, सरसेला, चंदेरी में अभियोक्त्री उम्र-14 वर्ष से कम आयु की अवस्यक बालिका का वांया हाथ बुरी नियत से पकडकर उसकी छाती लैंगिक आशय से दवाकर उस पर लैंगिक हमला किया ?

विचारणीय प्रश्न की विवेचना एवं निष्कर्ष:-

उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोक्त्री अ.सा.01 ने न्यायालय में बताया है कि हैडपंप पर पानी भरने की बात का लेकर आरोपीगण की बहन स्वाती से विवाद हो जाने से उसके दादा भामा बंजारा ने आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट की थी। इस साक्षी ने अभियोजन घटना का कोई समर्थन नहीं किया है। पुलिस को प्र.पी.03 का कथन देने से इंकार करते हुए आरोपी रिंकी यादव द्वारा बुरी नियत से हाथ पकडकर छाती दवाने के संबंध में घटना से इंकार करती है. अन्य अभियोजन साक्षीगण भामा बंजारा जो अभियोक्त्री का दादा है. ने भी घटना का समर्थन नहीं किया है। देहाती नालसी प्र.पी.04 पर हस्ताक्षर होना बताते हुए अभियोक्त्री एवं आरोपी की बहुन रिंकी का विवाद होने से रिपोर्ट करना बताया है। पुलिस कथन प्र.पी.05 देने से इंकार किया है। नन्नू अ.सा-03 एवं गुडडीबाई अ.सा-04 जो अभियोक्त्री का पिता एवं माता है, ने भी स्वाती से उसकी पुत्री का विवाद हो जाने से रिपोर्ट करना बताया है। अभियोजन घटना के संबंध में कोई समर्थन नहीं करते हैं।

- प्रकरण में फैविदा खान अ.सा-05 जो विवेचक है, ने विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी.01 लाठी एवं डण्डा जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी 10 एवं 11 एवं आरोपीगण का गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.08 एवं 09 बनाया जाना बताते हुए विवेचना के दौरान की गई कार्यवाहियों को प्रदर्शित व प्रमाणित किया है। परंतू प्रकरण के अभियोक्त्री अ.सा-01, भामा बंजार अ.सा02, नन्न् अ.सा–03, गुडडींबाई अ.सा.04 द्वारा अभियोजन घटना से पृथक घटना बताये जाने से एवं अभियोक्त्री द्वारा उसके साथ आरोपीगण द्वारा किसी प्रकार की हरकत किये जाने से इंकार किये जाने के कारण आरोपीगण रिंकी यादव एवं मेला सिंह के विरुद्ध ऐसी कोई साक्ष्य नहीं हैं. जिससे अभियोजन मामला प्रमाणित हो सके।
- अतः उपरोक्त अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को देखते हुए धारा 9. 232 द.प्रसं. के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत घटना का समर्थन स्वतंत्र साक्षीगण एवं अभियोक्त्री द्वारा न किये जाने से साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण रंकी उर्फ शेवेंद्र पुत्र मेला सिह एवं मेला सिंह पुत्र राजाराम यादव के विरूद्ध धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में उक्त धारा अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।
- प्रकरण में जप्तसुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् या अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेशाधीन नष्ट की जावे।

आरोपीगण के जमानत मुचलके भारहीन किये जाते हैं। 11.

आदेश आज दिनांक को खुले में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

.**4**. <u>विशेष सत्र प्रकरण.क.—60 / 2017</u>

।। राजेन्द्र सिंह ठाकुर।। प्र.अ. सत्र न्यायाधीश, के न्यायालय के द्वि.अति.न्यायाधीश, श्रृंखला न्याया.चंदेरी जिला—अशोकनगर

।। राजेन्द्र सिंह ठाकुर।। प्र.अ.सत्र न्यायाधीश के,न्यायालय के द्वि.अति.न्यायाधीश, श्रृंखला न्याया.चंदेरी जिला—अशोकनगर